राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

52वीं बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्रवाई

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>कार्य बिन्दु</th><th>कृत कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अतंर्गत समस्त हाऊसहोल्ड को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खोले जाने को पुनर्सत्यापित (Reconfirm) करने के पश्चात, इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को भेजें।

(कार्रवाई – समस्त बैंक)</td><td>वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड राज्य के समस्त हाऊसहोल्ड को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने हेतु महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत सभी के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, केवल उन हाऊसहोल्ड के सदस्यों का बैंक खाता नहीं खोला जा सका है जो वर्तमान में अपने गाँव में प्रवास नहीं कर रहे हैं।

<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>हाऊसहोल्ड के सर्वे किए गए</th><th>हाऊसहोल्ड के खाते खोले गए</th><th>शेष हाऊसहोल्ड</th></tr>
<tr><td>कुल</td><td>2056975</td><td>2019424</td><td>37551 *</td></tr>
</table>

सभी हाऊसहोल्ड के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खोले जाने का संतृप्ति प्रमाण पत्र सभी जिला अधिकारियों से प्राप्त हो चुका है।
* जो हाऊसहोल्ड मूल निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>केंद्र / राज्य सरकार एवं बी.एस.एन.एल. राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाए ताकि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं डी.बी.टी.एल. (एल.पी.जी.) को सुगमतापूर्वक पूरे राज्य में लागू हो सके।

(कार्रवाई – राज्य सरकार / भारत संचार निगम लि./बी.बी.एन.एल.)</td><td>एस.एल.बी.सी. द्वारा 1397 एस.एस.ए., जहाँ वर्तमान में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, की सूची पूर्ण विवरण (एस.एस.ए., ग्राम, विलेज कोड, पिन कोड, जनसंख्या आदि) सहित बी.एस.एन.एल. को उपलब्ध करा दी गयी है। दिनांक 17 मार्च, 2015 को Director TERM, DOT, Uttarakhand की बैठक अवगत कराया गया कि राज्य के शेष सभी 1397 एस.एस.ए. में निकट भविष्य में टेलीकॉम</td></tr>
</table>

		कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना कठिन है, लेकिन जिन बैंकों के बी.सी. Bank's Comman Technology का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें VSAT के Shared Band Width Basis माध्यम से टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है जिसकी अनुमानित लागत अलग-अलग VSAT लगाने की तुलना में सस्ता पड़ेगा।
3	मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के निर्देशानुसार सभी बैंक क्षेत्र विशेष की संभाव्यता के अनुरूप क्लस्टर फाइनेंस ऋण प्रदान करें और ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने हेतु रोडमैप तैयार कर उस पर समुचित कार्रवाई कर प्रगति से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)**	समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया गया है कि जिले के संबंधित विभागों से संपर्क कर क्षेत्र विशेष की संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुए उनका क्लस्टर फाइनेंस हेतु ग्रामों को चयनित करवाएं ताकि बैंकों द्वारा वहाँ व्यापक वित्तपोषण करवाया जा सके जिससे जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ सके।
4	राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा ₹ 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति "स्टॉम्प शुल्क" से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है। **(कार्रवाई – सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन)**	उक्त प्रकरण लगभग एक वर्ष से शासन स्तर पर लम्बित होने के कारण एस.एच.जी. लाभार्थियों को स्टॉम्प शुल्क में छूट न मिलने के कारण बैंकों में लिंकेज एवं वित्तपोषण में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है।

<table>
<tr><td>5</td><td>दिनांक 01 जनवरी, 2015 से संपूर्ण राज्य में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) / डी.बी.टी.एल. योजना लागू कर दी गयी है, इसलिए सभी बैंक अपने खाताधारकों के खाते में आधर कार्ड संख्या को अवश्य जोड़ने (Seeding of Aadhar Number in Bank Account) व्यवस्था करें। इसी क्रम में भारत सरकार से आग्रह है कि राज्य में आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाएं।

(कार्रवाई – केंद्र एवं राज्य सरकार / समस्त बैंक)</td><td>डी.बी.टी.एल. योजना के अंतर्गत अधिकांश एल.पी.जी. सिलेण्डर की सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या जो बैंकों को प्राप्त हुए हैं उन सभी को खाते से जोड़ दिया गया है।

सरकार से पुनः अनुरोध है कि राज्य के सभी नागरिकों का आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाएं।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मा. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बीमा कंपनियाँ भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत सभी खाताधारकों को माइक्रो इंश्योरेंस योजना के तहत कवर करें।

(कार्रवाई – ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td>केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित महत्वकांक्षी बीमा / पेंशन योजनाओं का लोकार्पण दिनांक 09 मई, 2015 को किया गया, जिनका क्रियान्वयन दिनांक 01 जून, 2015 से सभी राज्यों में आरम्भ किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का बैंक खाता सी.बी.एस. प्रणाली के तहत खुला हुआ है, वे सभी पात्र होंगे।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सभी बैंक राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी नई एम.एस.एम.ई. नीति के अनुरुप अधिक से अधिक संख्या में इकाइयों को वित्तपोषित करें।

(कार्रवाई – सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td>सभी बैंक इस दिशा में प्रथामिकता के आधार पर ऋण प्रदान कर रहे हैं।
(₹ करोड़ में)<table><tr><th>इकाई</th><th>उद्योग क्षेत्र</th><th>सेवा क्षेत्र</th><th>कुल</th></tr><tr><td>माइक्रो</td><td>933</td><td>1850</td><td>2783</td></tr><tr><td>लघु</td><td>3576</td><td>3754</td><td>7330</td></tr><tr><td>मध्यम</td><td>1465</td><td>1336</td><td>2801</td></tr></table></td></tr>
</table>

8	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, सभी बैंक सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं के लम्बित आवेदन पत्रों का तुरंत निस्तारण करें, ताकि वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि एवं ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हो सके। यदि इन योजनाओं के आवेदन पत्रों को वापस करना हो तो उचित स्पष्टीकरण के साथ वापस करना सुनिश्चित करें। **(कार्रवाई – सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)**	बैंकों ने अवगत कराया है कि उनकी विभिन्न शाखाओं को संबंधित विभागों से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को 15 दिनों के अंदर निस्तारित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इस संबंध में एस.एल.बी.सी. की 52वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि समस्त संबंधित विभाग, विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित आवेदनों को वितीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमशः 33%, 33% एवं 34% में बैंकों को प्रेषित करें। इसी क्रम में प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में एकरूपता लायी गयी है जिसे समस्त विभागों एवं बैंकों को उपलब्ध करा दिया गया है।
9	सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक मार्च, 2015 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी **1-4**9 पूर्णतः जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 तक अनिवार्य रूप से ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा / एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन (**slbcuttarakhand.org.in**) प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)**	भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा ऑन-लाइन डाटा प्रेषण हेतु वेबपोर्टल (www.slbcuttarakhand.com/login/banklogin.aspx) तैयार करवाया जा चुका है, जिसके माध्यम से मार्च, 2015 तक के त्रैमासिक आँकड़ों का प्रेषण करने हेतु सभी बैंकों को प्रशिक्षित करने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2015 को कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

****